

**राजस्थान अंचल अतिरिक्त वरकहा, राजस्थान**

अंचल अंचल

क्र. संख्या : 152/..... 2016-2 2017  
 संख्या अंक-.....


03/11/20

राजस्थान का संवैधानिक (Enclave) में संलग्न यह एक विस्तृत क्षेत्र है।  
 राजस्थान राज्य के संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में किया गया था।  
 यह क्षेत्र राज्य में इस्तेमाल के लिए है। अतिरिक्त अन्यत्र रख दिया जाने एवं नहीं मिलने के  
 कारण यह सुझाव दिया गया। अंतर सन इतना हजारोंभाग के पत्रांक-1389/रा0 दिनांक  
 24.08.2016 के आलाक के निदेशान सं-अंतर्गत यह विभाग सचिव राजस्थान एवं भूमि सुधार  
 विभाग के पत्र सं0-03-खा0न0 नोति-119/35/2008/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं यह  
 पत्र राजस्थान विभागीय परिपत्र सं0-914/रा0 दिनांक 19.12.1998 में निहित  
 अनुदान के अंतर्गत में ग0 न0 खास भूमि के विरुद्ध कायम की गई जनाबदोंओं  
 को जांच के क्रम में राजस्थान उप नि0 एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिबंधित किया गया है कि  
 निम्नवत ग0 न0 खास भूमि को जनाबदों कायम है।

नाम	खता	खसरा	रकबा	जनाबदोंवार रखत का नाम	पजो-2 का सू0सं0/भाग
दीपक	01	-	0.24 र0	जीएस कुरा	166/I

राजस्थान उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने उपरोक्त घोषित जनाबदों का संदेहात्मक  
 नामत हुए प्रतिवेदन दिया है।


अतः संबंधित को संधारित जनाबदों के विरुद्ध राजस्थान वस्तावेज उपस्थापित करने  
 हेतु सूचना निर्गत करें। अनिलेख दिनांक 23/11/20 को उपस्थापित करें

  
 03/11/20  
 अंचल अधिकारी  
 बरकहा

23/11/20

अनिलेख उपस्थापित। सूचना का तात्तिल प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्थान निबंधन  
 एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड के पत्रांक-04/सं0भू0 (विशा-निर्देश)-95/2016-2074,  
 दिनांक-13.05.16 के द्वारा दिये गये निदेश के आलाक में जांच की गई। जनाबदोंवार  
 रकबा द्वारा संदेहात्मक जनाबदों के विरुद्ध भूतपूर्व जनोंवार के द्वारा 01.01.1946 से पूर्व ज  
 हुसुनाना, वर्ष 1955-58 से लगायत रसोद, भूतपूर्व जनोंवार का Form-M एवं सरकार  
 सन 20 किए गये बंदाजनों संबंधी किसी प्रकार का वस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।

अतः विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 को धरा 4(h) में विहित  
 प्रावधानुसार जनाबदों सं0 166/I यानत जीएस कुरा को संदेहात्मक नामत  
 हुए यह करने को अंगुशिरा की जाती है। अनिलेख भूमि सुधार उप सन इतना परही को  
 भेजे।

  
 अंचल अधिकारी  
 बरकहा

संदेहास्पद / संदेहास्पद जमावदी गणनी जीव प्रतियोग

1. संदेहास्पद / संदेहास्पद जमावदी शकत का नाम श्री श्री कुमार कि देवराज कुमार

2. जमावदी से शवापन भूमि का विवरण - प्लॉट १९११

मौजा	थाना सं०	खेता सं०	प्लॉट सं०	संख्या
<u>कोयलवाड़ा</u>	<u>११</u>	<u>१</u>	<u>—</u>	<u>०.२५ ५७</u>

3. जमावदी पंजी-II के जिल्ला संख्या १ पृष्ठ सं०- १६६ न संख्या

4. जमावदी किस वर्ष कायम है - २०७९-७९

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि का खतियान का नाम - श्री खार

6. किस राशन प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमावदी कायम की गई है विभागाध्यक्ष-१९७९

7. यदि संदेहास्पद जमावदी भूसाधारण द्वारा शकित है तो मूल जमावदी संख्या का नाम —

8. मूल जमावदी कायम किए जाने का आधार (अतिरिक्त राशन हस्तगत) कायम निर्धारण / अवैध भूसाधारण —

9. संदेहास्पद जमावदी को जमावदी कायम करने से की गई शकित संख्या का नाम पंजी-II सं

10. संदेहास्पद जमावदी में आ

क्र० संख्या लगान सं०

४६८७७६

६/१२/९६

१९९६-९७

23/12/96  
अधीक्षक

संवैध / अवैध जमाबन्दी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चेंक लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - हनुमानगढ़ / 91061  
 2. क) अवैध जमाबन्दीदार का नाम - पौष्य बरहा  
 ख) अवैध जमाबन्दी की भूमि की विवरणी -

नौजा	थाना नं०	खाता सं०	खसरा सं०	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्त जमीन
1	2	3	4	5	6	7
<u>कान्हा</u> <u>रफ</u>	<u>99</u>	<u>01</u>	<u>-</u>	<u>0.24</u> <u>80</u>	<u>ग/परधान</u>	

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप - परत  
 4. अवैध जमाबन्दी पंजी II में कब से संधारित है - 4978-79  
 5. उक्त जमाबन्दी पंजी II में दर्ज करने वाले कर्मचारी / पदाधिकारी का नाम - कान्हा रफ  
 (पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी / कर्मी का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लिखित करें। नर)  
 6. नामान्तरण / दाखिल - खारिज उपरान्त संधारित जमाबन्दी के नामलों में मूल जमाबन्दी रैयत की विवरणी - नर  
 7. अवैध जमाबन्दी कायम किये जाने का आधार  
 i) अनिबंधित सादा हुकुमनामा  
 ii) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद सं० एवं पारित आदेशानुसार)  
 iii) अवैध भू-बन्दोवस्ती (वाद सं० के साथ) - नर  
 8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथाकथित सादस पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये कम या इससे अधिक)  
 9. अवैध जमाबन्दी की जांच किस राजस्व अभिलेख से की गई है:-  
 i) भूत पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से -  
 ii) अंचल / अनुमंडल में संधारित बन्दोवस्ती पंजी से -  
 iii) दाखिल-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से - पंजी II  
 10. क) अवैध जमाबन्दी क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम है? नर  
 11. क्या दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? नर  
 12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड बुझारत पंजी में दखल कब्जा अवैध जमाबन्दीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? नर  
 13. राजस्व कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंधान सहित - नर  
 14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जांचोपरान्त मन्तव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन - नर  
पंजी II में संधारित जमाबन्दी कायम है  
मिस्टर मो शी मन्तव्य की संदर्भ - अंचल

अंचल पौष्य बरहा भूमि सुधार उपसमाहता अनुमंडल पट्टा अंचल जमाबन्दी रचनायुक्त